कार्यालय नियंत्रक
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री
भोपाल

क्रमांक जी0बी05(09)2017/1967 भोपाल दिनांक 17.7.18

निष्प्रयोजित घोषित वाहन की निविदा की सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय नियंत्रक शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री भोपाल का वाहन क्रमांक एम.पी. 02–0786 इंडिका कार को निष्प्रयोजित किया गया है,वाहन जिस हालत में है उसी हालत में निविदा हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं । इच्छुक व्यक्ति विस्तृत जानकारी,निविदा की शर्तें एवं वाहनं के निरीक्षण हेतु नियंत्रक शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री भोपाल में कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते हैं अथवा उक्त निविदा सूचना को विभाग की वेवसाइट www.govtpressmp.nic.in पर अवलोकन किया जा सकता है।

उप नियंत्रक
वास्ते नियंत्रक
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
म0प्र0भोपाल

कार्यालय नियंत्रक

शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री
भोपाल

क्रमांक 08जी0बी05(09)2017/ ... भोपाल दिनांक.............

निविदा शर्ते

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल द्वारा घोषित अनुपयोगी वाहन क्रमांक.एम.पी .02–0786 इंडिका कार. की निविदा आमन्त्रित की जाती है निविदा की शर्त निम्नानुसार है :–

1– निविदा के दिन निविदाकार द्वारा राष्ट्रीकृत बैंक से जारी एफ.डी.आर.के रूप में रू. 1000/– धरोहर के रूप में आवेदन पत्र के साथ स्वंय की आई.डी. सहित उप नियंत्रक शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री भोपाल के कार्यालय में दिनांक 26–7–2018....समय 3.00 बजे तक. अनिवार्य रूप से जमा करना होंगे । एफ.डी.आर.जो कि नियंत्रक शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री मध्यप्रदेश भोपाल के नाम से देय होगी । जो व्यक्ति एफ डी आर के रूप में राशि जमा करेगा वही अनुपयोगी वाहन की निविदा में भाग ले सकेगा । डी.डी.या चैक मान्य नहीं किया जायेगा । एफ.डी.आर के जमा न करने की स्थिति में निविदाकार निविदा में भाग नहीं ले सकेगा ।

2– जिस व्यक्ति की निविदा में बन्द लिफाफा स्वीकार होगी उसे उसी दिनांक को 10 प्रतिशत राशि जमा करना होगी । शेष राशि एक सप्ताह के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा । 90 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने पर ही अनुपयोगी वाहन को उठाने की अनुमति दी जावेगी । यदि 10 प्रतिशत राशि उसी दिनांक को जमा नहीं की जायेगी तो उसकी धरोहर की राशि को राजसात कर लिया जायेगा । स्वीकृत दर का अन्तिम निर्णय समिति का होगा किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में नियंत्रक का निर्णय अन्तिम मान्य होगा ।

3 – सफल निविदाकार को वाहन को 07 दिन के अन्दर शासकीय केन्द्रीय मुद्रणलय भोपाल से उठाना अनिवार्य होगा । वाहन नहीं उठाने पर एच–2 को दे दिया जावेगा अन्तर की राशि एच–1 से वसूल की जावेगी ।

4– निविदा में अनुपयोगी वाहन का उचित मूल्य न मिलने पर समिति के अधिकारियों को बिना कारण बताये निविदा अस्वीकृत करने का अधिकार होगा ।

5– धरोहर राशि को दो सप्ताह के भीतर उन निविदाकारों की वापस कर दी जावेगी जिसकी बोली अंन्तिम नहीं होगी ।

..2..

6– निविदा में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति जो इस वाहन को निविदा तिथि से पूर्व देखना चाहते हैं वे किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं समय में शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल में उपस्थित होकर उप नियंत्रक से अनुमति प्राप्त कर वाहन को देख सकते हैं ।..

7– सफल निविदाकार को अनुपयोगी वाहन को शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल से उठाना होगा । इसमें लोडिग तथा अनलोडिंग का व्यय निविदाकार को वहन करना होगा ।

8– वाहन जैसी है जहां है उसी हालत में सफल निविदाकार को उठाना होगा ।

9– किसी भी प्रकार की अन्य शर्ते मान्य नहीं होगी । विवाद की स्थिति में अन्तिम निर्णय प्रमुख सचिव राजस्व भोपाल का होगा ।

10–निविदा का स्थान – नियंत्रक शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री भोपाल

निविदा दिनांक 27–7–2018 समय 3.00. बजे

उप नियंत्रक
वास्ते नियंत्रक
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
म0प्र0,भोपाल ।

आवेदन फोर्म

1— नामः—...

2— पिता का नाम..

3— पता ....
....
....

4— जी.एस.टी.नम्बर

5— धरोहर राशि एफ.डी.आर.— रूपये 1,000=00(रूपये एक हजार)

6— निवासी ....
....
....

दिनांक........................

नाम................................

हस्ताक्षर.......................